



# उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

आदेश - पत्रक

मा : RAN - 121/09

पक्षकार का नाम: नन्द रानी देवी बनाम शिव दयाल बेदिया वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11-12-09	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ में भूवापसी वाद संख्या-03/07-08 शिवलाल बेदिया एवं अन्य बनाम नेहर लाल प्रसाद में दिनांक-11.02.08 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में रिवीजन दायर करने हेतु आवेदन दिया है। साथ ही लिमिटेसन एक्ट की धारा-5 के तहत आवेदन दिया है। विपक्षी को सूचित करें।</p> <p>प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक : <u>13/12/09</u> को रखें।</p> <p style="text-align: right;">                       13/12/09                      उपायुक्त,                      रामगढ़।                 </p> <p>                     अपीलार्थी - वकायतन हाजरी                      विपक्षी - वकायतन नाम के साथ वकायतन हाजरी                      P.O. रिवांचन कार्य में अस्त आदिपत्र                      दिनांक 09-03-2010 को रखें।                 </p>	<p>721 14-10-09</p>
09-03-10	<p style="text-align: right;">प्र. वा. 10</p> <p>                     अपीलार्थी - वकायतन हाजरी।                      विपक्षी - अनुपस्थित।                      appeal is admitted. Call for LCR.                      put up on 4/6/10.                        9/3/10                 </p>	<p>193 10-03-10</p>

29/08/18

अपीलावर्ग - अनुपस्थित  
विपक्षी - अनुपस्थित  
आदेश हेतु रखें।

29/08/2018

-: आदेश :-

उभय पक्ष अनुपस्थित। ऐसा प्रतीत होता है कि वाद की निस्तार हेतु उभय पक्ष इनकी रुचि नहीं रह गई है। फलतः उभय पक्षों की वाद के प्रति उदासिनता को देखते हुए बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई बंद की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

उपायुक्त,  
रामगढ़।

603/वि/का  
03/09/18